न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक कुमार असीजा** आर.ए.एस.

अपील सं. 25/2019

अनवानः–

मैसर्स नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच हनुमानगढ टाउन जरिये रजत अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल सा. वार्ड नं. 20 हनुमानगढ टाउन तह0 व जिला हनुमानगढ।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2 अरूणा पत्नी पवन कुमार 3 अपूर्वा 4 पुलकिता पुत्रीयान पवन कुमार
5 अमोल पुत्र पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासियान हनुमानगढ टाउन।
6 भागीरथ लाल पुत्र लक्ष्मण दास जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
7 राजकुमार पुत्र भागीरथ लाल जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
8 पुष्पादेवी 9 उषादेवी 10 अन्जू 11 मधु पुत्रीयान भागीरथ लाल जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
12 सुशील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अग्रवाल सा. 53 आदित्य बैंगलोज ड्राईवइन रोड साल हास्पीटल के सामने अहमदाबाद।
13 नेहा 14 स्वामी 15 निधि पुत्रीयान सुशील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अग्रवाल सा. 53 आदित्य बैंगलोज ड्राईवइन रोड साल हास्पीटल के सामने अहमदाबाद।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल दिनांक 15.7.15 बअदालत तहसीलदार हनुमानगढ।

अपील सं. 26/2019

अनवानः–

मैसर्स नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच हनुमानगढ टाउन जरिये रजत अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल सा. वार्ड नं. 20 हनुमानगढ टाउन तह0 व जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2 अरूणा पत्नी पवन कुमार 3 अपूर्वा 4 पुलकिता पुत्रीयान पवन कुमार
5 अमोल पुत्र पवन कुमार जाति अग्रवाल निवासियान हनुमानगढ टाउन।
6 भागीरथ लाल पुत्र लक्ष्मण दास जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
7 राजकुमार पुत्र भागीरथ लाल जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
8 पुष्पादेवी 9 उषादेवी 10 अन्जू 11 मधु पुत्रीयान भागीरथ लाल जाति अग्रवाल सा. हनुमानगढ टाउन।
12 सुशील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अग्रवाल सा. 53 आदित्य बैंगलोज ड्राईव इन रोड साल हास्पीटल के सामने अहमदाबाद।
13 नेहा 14 स्वामी 15 निधि पुत्रीयान सुशील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अग्रवाल सा. 53 आदित्य बैंगलोज ड्राईव इन रोड साल हास्पीटल के सामने अहमदाबाद।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

रेस्पोडेंटस

2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 1
3 श्री सदाम हुसैन अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 15

-:निर्णय:-

दिनांकः – 20.9.19

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें एक ही भूमि के संबंध में प्रस्तुत की गयी हैं इसलिए इन दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अपीलों में उठाए गए मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

1 अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व मौका की स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली व रेस्पो0 2 ता 5 के नाजायज प्रभाव में आकर आक्षेपित आदेश पारित किया है।

2 प्रश्नगत भूमि अपीलांट के हक व हिस्सा की है तथा अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड लीजडीड है उक्त लीजडीड के प्रभाव में रहते रेस्पो0 2 ता 5 व रूक्मणी देवी के नाम नामान्तरण दर्ज नही हो सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है।

आक्षेपित आदेश में अपीलांट पक्षकार नहीं था। आक्षेपित आदेश का अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 20.6.19 को तब हुआ जब अपीलांट के निदेशक रजत अग्रवाल ने पटवारी हल्का से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने के लिए गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज न होकर रेस्पो0 2 ता 5 व रूक्मणी के नाम दर्ज है। जिस पर कम्पनी निदेशक रजत अग्रवाल ने उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 21.6.19 को प्राप्त की गयी इससे पूर्व अपीलांट को आक्षेपित आदेश का ज्ञान नहीं था।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश अपास्त फरमाये जाकर चक 15 एचएमएच के प0नं0 139/270 की 8 बीघा 1 बिस्वा औद्योगिक भूखण्ड का नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गयी। रेस्पो0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक व रेस्पो0 2 ता 15 की जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.2.85 से पवन कुमार व राजकुमार पि. भागीरथ लाल के नाम खरीद की गयी थी। इस भूमि की लीजडीड दिनांक 03.5.88 ,15.4.87 व 15.4.87 को जारी है। यह लीजडीड नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच के नाम बनी हुई है। इनमें निर्देशक में राजकुमार पुत्र भागीरथ लाल व पवन कुमार पुत्र भागीरथ लाल व भागीरथ लाल पुत्र लक्ष्मण दास हैं। प्रश्नगत आराजी का रूपान्तरण व लीजडीड मै0 नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच के नाम से जारी है, इसलिए प्रश्नगत आराजी का नामान्तरण मै0 नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार हनुमानगढ को दिये जावे ।

रेस्पो0 2 ता 15 के अभिभाषक द्वारा अपीलांट का समर्थन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये दोनों इन्तकाल विधि सम्मत है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध लीज डीड दिनांक 03.5.1988 जो नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच जिसके डायरेक्टर राजकुमार हैं के अनुसार चक 15 एचएमएच के प0नं0 139/270 कि0नं0 8/0.03, 10/0.01, 11/0.12, 12/1.00, 13/0.03, 18/0.03, 19/1.00, 20/0.12, 21/0.08, 22/0.15 ,23/0.02 जो श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व उपनिदेशक जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर व पक्षकार के मध्य जारी शुद्धा है। इसी प्रकार लीज डीड दिनांक 15.04.1987 जो नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच

जिसके डायरेक्टर भागीरथ लाल पुत्र लछमन दास, राजकुमार पुत्र भागीरथ एवं पवन कुमार पुत्र भागीरथ लाल हैं के अनुसार चक 15 एचएमएच के प0नं0 139/270 कि0नं0 9/1.00, 10/0.11 जो श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व उपनिदेशक जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर व पक्षकार के मध्य जारी शुद्धा है। एक अन्य लीज डीड दिनांक 15.04.1987 जो नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच जिसके डायरेक्टर भागीरथ लाल पुत्र लछमन दास, राजकुमार पुत्र भागीरथ एवं पवन कुमार पुत्र भागीरथ लाल हैं के अनुसार चक 15 एचएमएच के प0नं0 139/270 कि0नं0 1/0.11, 2/0.18, 3/0.02 जो श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व उपनिदेशक जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर व पक्षकार के मध्य जारी शुद्धा है। उक्त तीनों लीज डीड में सम्मिलित भूमि का गै0मु0 औद्योगिक नामान्तरण सं0 475 दिनांक 30.3.17 को स्वीकृत किया गया। इससे पूर्व यह भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि ही दर्ज थी। पवन कुमार की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम नामान्तरण सं. 432 दिनांक 15.7.15 को स्वीकृत किया गया। प्रश्नगत भूमि उक्त तीनों लीज डीड के अनुसार नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 15 एचएमएच के नाम रिकार्ड में अमल दरामद होना चाहिए था परन्तु वर्ष 2017 तक इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ जिस कारण से पवन कुमार की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण मुताबिक उक्त तीनों लीज डीड के आधार पर दर्ज नहीं हुए हैं। जो विधि अनुसार नहीं है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन चक 15 एचएमएच के नामान्तरण सं0 432 दिनांक 15.7.15 व नामान्तरण सं. 475 दिनांक 30.3.17 निरस्त किये जाते हैं। साथ ही तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त तीनों लीज डीड में अंकित भूमि का नामान्तरण नवभारत कृषि उद्योग प्राईवेट लि0 चक 15 एचएमएच के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official